भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3613

(जिसका उत्तर सोमवार, 15 जुलाई, 2019/24 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है)

सीमापार से होने वाले लेनदेन डाटा

3613. श्री गजानन कीर्तिकरः
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री सुधीर गुप्ताः
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने यह कहा/स्पष्ट किया है कि यदि आवश्यक हो तो, किसी विदेशी घटकन वाले सीमापारीय लेनदेन से संबंधित डाटा के लिए अंतर्देशीय घटकन प्रतिलिपि विदेश में भी भण्डारित की जाए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या आरबीआई का उक्त स्पष्टीकरण डाटा स्थानीयकरण मानकों में परिवर्तन ला देगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आरबीआई ने भुगतान सिस्टम ऑपरेटरों को भुगतान या निपटान संबंधी लेनदेन ब्यौरे और सूचना हेतु भारत में जारी भुगतान के डाटा को भण्डारित करने के लिए कहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन दिशानिर्देशों से कंपनियां किस स्तर तक प्रभावित होंगी?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री

(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (घ): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सभी सिस्टम प्रदाताओं को यह सलाह देते हुए "भुगतान सिस्टम डाटा के भंडारण" से संबंधित दिनांक 06 अप्रैल, 2018 के परिपत्र डीपीएसएस को. ओडी नं. 2785/06.08.005/2017-18 के तहत यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उनके द्वारा प्रचालित भुगतान सिस्टमों से संबंधित संपूर्ण आंकड़े छः माह की अवधि के भीतर केवल भारत में एक सिस्टम में रखे जाएं। उन्होंने यह भी प्रावधान किया कि लेनदेन के विदेशी हिस्से, यदि कोई हो, के लिए यदि अपेक्षित हो तो डाटा विदेश में भी भंडारित किया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 26 जून, 2019 को जारी एफएक्यू के तहत यह स्पष्ट किया कि विदेशी घटक और अंतर्देशीय घटक वाले सीमापार लेनदेन आंकड़ों के लिए, यदि अपेक्षित हो, तो अंतर्देशीय घटक की एक प्रति विदेश में भी भंडारित की जा सकती है। यदि प्रोसेसिंग विदेश में की जाती है तो विदेश के सिस्टम से डाटा हटा दिया जाना चाहिए और भुगतान प्रोसेसिंग से 24 घंटे अथवा 1 कार्य दिवस से पूर्व, जो भी पहले हो, भारत में वापिस लाया जाना चाहिए। तथापि, "भुगतान सिस्टम डाटा के भंडारण" के संबंध में 06 अप्रैल, 2018 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी डाटा स्थायीकरण मानकों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

ये दिशा-निर्देश उन सभी अधिकृत/अनुमोदित भुगतान सिस्टम प्रदाताओं, भारत में प्रचालित बैंकों और सिस्टम भागीदारों, सेवा प्रदाताओं, मध्यवर्ती संस्थाओं, भुगतान गेटवे, तीसरी पारी विक्रेताओं और भुगतान परितंत्र में अन्य निकायों के माध्यम से किए गए लेनदेन के संबंध में भी लागू होते हैं, जो अधिकृत/अनुमोदित निकायों द्वारा भुगतान सेवा मुहैया कराने के कार्य में शामिल हैं या लगे हुए हैं। इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व अधिकृत/अनुमोदित पीएसओ का होगा।

****